झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग ।

संख्या-2/क्रीड़ा-19/2001-क- 2045

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी उप निदेशक,कल्याण/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ सभी अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी ।

राँची, दिनांक- 25 अगस्त, 2004 ई० ।

विषय:- क्रीड़ा छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका ।

झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजाति के अनेक खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव स्थित उपलब्धियाँ हासिल की गई है । विशेषकर हॉकी, तीरंदाजी आदि क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है । अन्य खेलों में भी झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्रायें तेजी से उभरकर सामने आये हैं ।

राज्य के ऐसे उभरते खिलाड़ियों को अधिक प्रोत्साहित करने तथा ये छात्राओं को भी खेल-कूद में अभिरूची बढ़ाने के दृष्टिकोण से कल्याण विभाग द्वारा क्रीड़ा छात्रवृत्ति तथा क्रीड़ा प्रोत्साहन की निम्नवत योजना प्रारम्भ की गई है ।

(क) <u>क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना</u>

क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्न तरीके से राशि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है :--

1- प्रत्येक जिला में अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं के लिए खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। यह प्रतियोगिता प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित प्रतियोगी के बीच होगी । प्रखंड स्तर पर एथलीट तीरंदाजी, कबड्डी आदि के लिए प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी । इस प्रतियोगिता में सभी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्रायें भाग ले सकेंगी । यह प्रतियोगिता कक्षा 7 वीं से 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए होगी । जिला स्तर पर प्रतियोगिता के पश्चात विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार से भी सम्मानित किया

...2/-

173

किया जायेगा । प्रत्येक आईटम के प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर रहनेवाले प्रतिभागी राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में सहभागी हो सकेंगे । प्रत्येक वर्ष जिला तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का एक कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा जिसके अनुसार प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी। प्रतियोगिता का आयोजन खर्च तथा पुरस्कार खर्च कीड़ा प्रोत्साहन मद से राशि का वहन किया जायेगा ।

2- यदि कोई छात्र/छात्रायें किसी खेल में राष्ट्रीय स्तर/अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करते हैं तो स्थानीय प्रशासन द्वारा उन प्रतिभागियों को 10,000/-रूपये तक की राशि के पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है ।

3- कोई ऐसा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु यदि चयनित हो गया है तथा राशि के अभाव में उन्हें गंतव्य स्थान पर जाने के लिए कठिनाई हो रही हो ऐसे स्थिति में उक्त खिलाड़ी को गंतव्य स्थान तक जाने के लिए द्वितीय श्रेणी के रेल किराये तथा प्रतियोगिता के दौरान प्रतिदिन 200/-रू0 के दर से विशेष भत्ता की स्वीकृति दी जा सकती है ।

4- ऐसे खिलाड़ी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले परिवार से आते हैं तथा खेल-कूद के आवश्यक सामग्री क्रय में असमर्थ हैं उन खिलाड़ियों को निम्नांकित खेल सामग्री वर्ष में एक बार दी जा सकती है ।

(क) हॉकी स्टीक, बैडमिन्टन रैकेट, टेनिस रैकेट, तीर धनुष (अन्य सामग्री जो खेल-कूद के आवश्यक हो)

(ख) खिलाड़ियों के लिए ट्रैक सूट।

(ग) जूता- मोजा।

(घ) सामग्री रखने हेतु बैग ।

लाभान्वितों के चयन व संपूर्ण योजना के क्रियान्वयन हेतु उपायुक्त/उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी ।

1-	उपायुक्त/ उप विकास आयुक्त -	अध्यक्ष
2-	जिला कल्याण पदाधिकारी -	सदस्य सचिव ।
3-	खेल कूद पदाधिकारी -	सदस्य
4-	जिला से नेशनल/राज्य/जिला स्तरीय (प्राथमिकता इसी क्रम में) अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ी (दो) एक महिला, एक पुरूष -	सदस्य
5-	उपायुक्त द्वारा मनोनीत सामाजिक कार्यकर्ता-	सदस्य

समिति द्वारा आवश्यकतानुसार जिला में अवस्थित खेल संघों के

...2/-

प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जा सकता है । जिला स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता आयोजन के लिए आयोजित समिति के द्वारा कार्य करेंगे ।

(ख) क्रीड़ा छात्रवृति

अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए क्रीड़ा क्षेत्र में प्रोत्साहन देने हेतु क्रीड़ा छात्रवृति देने की योजना है । यह छात्रवृति निम्नांकित छात्र/छात्राओं को देय होगी ।

1- मध्य, उच्च विद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सहभागी हो चुके हों तथा वर्तमान में भी खेल कूद के क्षेत्र में क्रियाशील रहे हों ।

2- ऐसे खिलाड़ियों जिनके द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो ।

छात्रवृति निम्नांकित दर से देय होगी ।-

1- मध्य तथा उच्च विद्यालय में अध्ययनरत खिलाड़ियों के लिए 2500/-प्रतिवर्ष

2- महाविद्यालय में अध्ययनरत खिलाड़ियों के लिए 3000/- प्रतिवर्ष ।

यदि छात्रवृति हेतु अधिक आवेदन है किन्तु आवंटन कम है तो ऐसी स्थिति में निम्नांकित के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी :-

1- राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी ।

2- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले परिवारों से आनेवाले खिलाड़ी ।

छात्रवृति हेतु खिलाड़ियों के चयन की जिम्मेदारी उपर्युक्त समिति पर होगी ।

कृपया इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ करने की दिशा में समुचित कार्रवाई की जाय । आवंटन उपलब्ध कराने की कार्रवाई अलग से की जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(सुखदेव सिंह) 25/8
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-2/क्रीड़ा- 19/2001-क- 2045 रांची, दिनांक- 25 अगस्त, 2004 ई० ।

प्रतिलिपि:- आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखंड, रांची/ सांख्यिकी कोषांग, कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(सुखदेव सिंह) 25/8
सरकार के सचिव ।

(77)

ज्ञापांक-2/क्रीड़ा- 19/2001-क- 2045 राँची, दिनांक- 25 अगस्त, 2004 ई० ।

प्रतिलिपि:- संबंधित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी संबंधित उपायुक्त/ सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/ सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/ सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/ सभी संबंधित अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

§ सुखदेव सिंह §
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-क- 2045 राँची, दिनांक- 25 अगस्त, 2004 ई० ।

प्रतिलिपि:- सचिव, कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग को परिषद की बैठक की कार्यवाही के छाया प्रति संलग्न कर तदानुसार कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

§ सुखदेव सिंह §
सरकार के सचिव ।

20.8.04